

प्रस्तुति 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुति आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन प्रूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संतान दिया जाना चाहिए ।

1. राजनीतिक दल का नाम : उनांजादी छा उर्गिन उन्डोलन दल
2. राजनीतिक दल की प्राप्ति  
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यताप्राप्त
3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता : ७८० डाक्टर बी. ई. २८, बैलोडुनगर  
४. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ०१-०२-२०१३ २८४२(इच्छा)
5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/  
सर्किल पहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल  
की जानी है..... A.D.A.A.15/15A - वार्ड 1 (१) २८४२
6. वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, चौरो-

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय द्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
		—/—/—			

\*चेक/ मांगदेय द्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस चेक या चेक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय द्राफ्ट लिखा गया है ।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकारित शर्तों का अनुपातन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संतान की जानी चाहिए) ।

मैं... छ.भवन्नि पाठी... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ मुत्री..... सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से... अंदेशा की अपनी हेसियत में इस प्रस्तुति को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं ।

तारीख २२-०७-२०२१  
स्थान : शास्त्रपुर (८००७०)

(स्नेहाच्छवि/ प्राधिकारी व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

M. R. Patel  
अध्यक्ष

आजादी का अंतिम आदोलन दल  
मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)